

20/01/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विजय सिंह बानरा, पिता- स्व० तुरी बानरा, निवासी ग्राम- टोन्टो, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- टोन्टो, थाना नं०- 650 के अन्दर खाता नं०- 167, प्लॉट नं०- 2274, रकवा- 0.06 एकड़ भूमि क्रेता श्यामलाल सोय, पिता- स्व० विजय सोय, ग्राम- पंचो, थाना- मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। दादा एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 39, दिनांक- 16.01.2020 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्यामलाल सोय, पिता- स्व० विजय सोय, ग्राम- पंचो, थाना- मुफ्फासिल के पास 1,23,000.00/- (एक लाख तेईस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक विजय सिंह बानरा, पिता- स्व० तुरी बानरा, निवासी ग्राम- टोन्टो, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता श्यामलाल सोय, पिता- स्व० विजय सोय, ग्राम- पंचो, थाना- मुफ्फासिल के पास जमीन को 1,23,000.00/- (एक लाख तेईस हजार) रुपये में मौजा- टोन्टो, थाना नं०- 650 के अन्दर खाता नं०- 167, प्लॉट नं०- 2274, रकवा- 0.06 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।